



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल पार्टीशन वाद संख्या- 7/2009-10

सिंकु गोप एवं 4 अन्य।

वनाम

बुधराम गोप एवं 7 अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह पार्टीशन वाद 1. सिंकु गोप, 2. डब्लु गोप, 3. मेनजोरी गोड़ीन, तीनों का पिता- दिनु गोप, 4. राय गोड़ीन, पति- स्व० गिनु गोप एवं 5. विजय गोप, पिता- स्व० सुभनाथ गोप, सभी का ग्राम- मुरदा, पो०- तांतनगर, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि का बराबर-बराबर बटवारा करने हेतु प्रतिवादी 1. बुधराम गोप, 2. दासो गोड़ीन, 3. बारी गोड़ीन, 4. लेम्बो गोड़ीन, 5. जेमा गोड़ीन, सभी का पिता- घासी राम गोप, 6. लखन गोप, 7. गोपी गोप, 8. पुरनो गोप, तीनों का पिता- रघुनाथ गोप, सभी का निवासी ग्राम- मुरदा, पो०- तांतनगर, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में कई बार दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया लेकिन कई तिथि गुजर जाने के बाद स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> 15.03.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p style="text-align: center;"> 15.03.22 अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	